न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0—— 97/2014
प्रविष्टि दिनांक ——5.8.2014

सेन्ट सोल्जर शिक्षा समिति टोंक जरिये सचिव बाबूलाल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण नि. तालकटोरा टोंक

– वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
2. कन्हैयालाल पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
3. सत्यनारायण पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
4. हरिनारायण पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
5. हरली देवी बेवा चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री शिवप्रसाद शर्मा –वकील वादी
श्री महेश शर्मा–वकील प्रतिवादीण

वाद पत्र बाबत– स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

दिनांक–03/01/18...

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि ख.न. 3085/1 रकबा 16 बिस्वा कस्बा गर्बी टोंक मे स्थित है। उक्त भूमि का वादी एक मात्र खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है। ख.न. 3085/2 प्रतिवादीगण के पिता चतरा की खातेदारी मे है। प्रतिवादीगण मे बिना रूपान्तरण कराये ही उक्त भूमि में भवन निर्माण कर रहे है। उक्त भूमि नक्शा ट्रेस में 3085 ही अंकित है बटा नंबर अंकित नही है। ख.न. 3085/1 व 3085/2 की तरमीम नही हो रखी है। इस कारण प्रतिवादीगण अपनी भूमि की आड मे वादी की भूमि मे जबरन निर्माण करने पर अमादा है। वादी की भूमि मे अतिक्रमण कर, खिडकिया आदि निकालना चाहते है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी की खातेदारी की भूमि ख.न. 3085/1 रकबा 16 बिस्वा कस्बा गर्बी टोंक मे किसी भी प्रकार की मजाहमत नही करे। जब तक शीट मे तरमीम नही हो, तब तक कोई भवन निर्माण नही करे , वादी की भूमि की ओर नाले, खिडकियां आदि नही निकाले, भूमि की किस्म परिवर्तन नही करे। पक्के निर्माण ध्वस्त किया जावे , वादी की भूमि में कब्जा नही करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

वादी की ओर से विवादित भूमि पर मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी गण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादीगण ख. न. 3085/2 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उन्हे अपनी भूमि के उपयोग की अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण ने भी वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश कर रखा है जिसके अनुसार वादी की भूमि के लगवा ही प्रतिवादीगण की भूमि है। वादी अपनी भूमि की मेड तोडकर हम प्रतिवादीगण की भूमि मे मजाहमत करने पर अमादा है। दोनो खसरा नंबर मौके पर बटे हुए है। उक्त भूमि की तरमीम गलत हो रखी है जिसे दुरूस्ती हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया है। प्रतिवादीगण किसी भी तरह से अतिकमण करना या खिडकिया निकालना नही चाहते है। अपितु वादी ने प्रतिवादीगण की भूमि के उत्तर की ओर खेल

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

मैदान बना रखा है जिससे प्रतिवादीगण को काफी परेशानी का सामने करना पड रहा है। वाद खारिज किया जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत 2066–69, नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादीगण प्रार्थीगण ने शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार पक्षाकारो मे राजीनामा हो गया है। अतः नजदीकी तारीख पेशी मे पत्रावली शीघ्र तलब की जावे।

प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, पत्रावली आज 3.1.2018 को तलब की गई।

इसके पश्चात दोनो पक्षो मे राजीनामा हो गया है। प्रकरण मे प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रकरण मे लोक अदालत की भावना से वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार भूमि ख.न. 3085/1 रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा गर्बी टोंक मे प्रतिवादीगण , वादी के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार से मजाहमत एवं मदाहखलत नही करेंगे। वाद उक्त राजीनामे के अनुसार वाद डिकी कर दिया जावे।

हमने लायक वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2066–69 से विवादित भूमि ख.न. 3085/1 रकबा 16 बिस्वा का वादी रिकार्डेड खातेदार साबित है उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबंध प्रतीत नही होता है। प्रकरण मे दोनो पक्षो द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया है। चूंकि वाद पत्र में अंकितानुसार प्रतिवादीगण द्वारा भी वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस मे ख.न. 3085 ही अंकित है, नक्शा ट्रेस मे अभी तक बटा नंबर अंकित नही है। अतः स्पष्ट है कि वाद एवं प्रतिवादीगण की भूमि की मेडे आपस मे मिलती है। इस कारण दोनो पक्षो मे विवाद है तथा एक दूसरे की भूमि मे मजाहमत करने के वाद पेश कर रखे है। चूंकि प्रकरण मे दोनो पक्षो ने एक दूसरे की खातेदारी मे मजाहमत नही करने हेतु राजीनामा प्रस्तुत किये है। चूंकि सरकार की मंशानुरूप न्यायालय मे प्रकरणो की अधिकता, लम्बी प्रकिया एवं न्याय मे विलम्ब के कारण पक्षकारो के मध्य विवादो का निपटारा राजीनामे के आधार पर किया जाकर शीघ्र निपटारा किये जाने का उदेश्य है। उक्त मंशा एवं सरकार के उदेश्यापूर्ति हेतु पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार से मजाहमत नही करे।

आदेश

अतः वाद का वादी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आ0 ख.न. 3085/1 रकबा 16 बिस्वा, ग्राम कस्बा टोंक गर्बी, तहसील टोंक राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी की उक्त भूमि मे किसी प्रकार से मजाहमत नही करे। **राजीनामे के अनुसार पाबन्द रहेंगे।** डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03/01/18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री प्रभातीलाल जाट आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

सेन्ट सोल्जर शिक्षा समिति टोंक जरिये सचिव बाबूलाल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण नि. तालकटोरा टोंक

– वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
2. कन्हैयालाल पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
3. सत्यनारायण पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
4. हरिनारायण पुत्र चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक
5. हरली देवी बेवा चतरा माली निवासी तालकटोरा टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री शिवप्रसाद शर्मा –वकील वादी
श्री महेश शर्मा–वकील प्रतिवादीण

दावा–बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
दावा नं0 97/2014

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि **वाद का वादी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आ0 ख.न. 3085/1 रकबा 16 बिस्वा, ग्राम कस्बा टोंक गर्बी, तहसील टोंक राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी की उक्त भूमि मे किसी प्रकार से मजाहमत नही करे। राजीनामे के अनुसार पाबन्द रहेंगे।**
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 03.1.18 को जारी किया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोटः–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner